निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 श्रावण 1943 (श0)
(सं0 पटना 665) पटना, मंगलवार, 3 अगस्त 2021

jktLo ,oa Hkwfe lq/kkj foHkkx

अधिसूचना
30 जुलाई 2021

lañ 9@l0&6&esyk cBd&03@12&187¼9½@jk0——दिनांक–04.07.2012 को बिहार राज्य मेला प्राधिकार की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में बिहार राज्य मेला प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा–8 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभागीय अधिसूचना सं0–474(9), दिनांक–14.09.2012 के द्वारा सोनपुर मेला जिला–सारण को पांच वर्षों के लिए वित्तीय वर्ष 2012–13 से वित्तीय वर्ष 2016–17 तक, विभागीय अधिसूचना संख्या–386(9) दिनांक–19.06.2017 द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 तक एवं विभागीय अधिसूचना संख्या–668(9), दिनांक–25.07.2019 द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 से वित्तीय वर्ष 2020–21 तक की अवधि के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के नियंत्रण से मुक्त करते हुए पर्यटन विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरित किया गया।

चूँकि उक्त हस्तान्तरण अवधि दिनांक–31.03.2021 को समाप्त हो गया, सोनपुर मेला को पुनः वित्तीय वर्ष 2021–22 से वित्तीय वर्ष 2023–24 (तीन वित्तीय वर्ष) की अवधि के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से पर्यटन विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरित किया जाता है। उपर्युक्त मेला को निःशुल्क हस्तान्तरित करने के प्रस्ताव पर सरकार का अनुमोदन प्राप्त है।

2. उपर्युक्त हस्तान्तरित अवधि के दौरान सोनपुर मेला प्रबंधन में होने वाले सम्पूर्ण व्यय–भार का वहन पर्यटन विभाग, बिहार के द्वारा किया जाएगा। हस्तान्तरित अवधि के दौरान सोनपुर मेला सैरात की बन्दोबस्ती स्थगित रहेगी।

3. उपर्युक्त हस्तान्तरण वित्तीय वर्ष 2021–22 में अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगा।

fcgkj&jkT;iky ds vkns'k ls]
lq'khy dqekj]
funs'kd] Hkw&vtZu&lg&vij lfpoA

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 665-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in